न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	34/2023	12.09.2023	10/25 (2025/48)	15.01.2025	28.11.2025	1 लगायत 3

1. छोटी देवी पत्नी रामेश्वर प्रसाद शर्मा उम्र 78 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

–प्रार्थी

बनाम

1.. रूपनारायण पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

2. ग्राम पंचायत तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री तरूण शर्मा ।

अप्रार्थी की ओर से – विद्वान अभिभाषक श्री विजेन्द्र गुर्जर

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज एक्ट 1954

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत तलावड़ा के मिसल संख्या 5 दिनांक 20.02.83 के तहत अप्रार्थी सं0 1 रूपनारायण पुत्र रामप्रसाद को जारी पट्टा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1954 इस न्यायालय में पेश की गयी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड/रिपोर्ट तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी सं0 2 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई तथा अदालत मातहत का रिकोर्ड तलब करने पर अदालत मातहत द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पत्रावली से संबंधित ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैतथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त भूमि निगरानीकार व अप्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व की जायदाद है जिस पर दोनों 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थी धनाढय व रसूखदार व्यक्ति है , जबकि प्रार्थीया 80 वर्षीय वृद्ध महिला है तथा अप्रार्थी ने इसी बात का फायदा उठाकर प्रार्थीया के 1/2 हिस्से जो कि उत्तर की और है का पट्टा भी अपने पक्ष में बनवा लिया। प्रार्थीया द्वारा जब उक्त पट्टे बाबत् ग्राम पंचायत तलावड़ा में सूचना मांगी गई तो उन्होने ऐसे किसी पट्टे बाबत् अनभिज्ञता दर्शायी व कहा कि ऐसी कोई पत्रावली नहीं है। उक्त पट्टा फर्जी है तथा जो कि अप्रार्थी द्वारा फर्जी तरीके से बनवाया गया है जबकि मौके पर 1/2 हिस्से पर प्रार्थीया आज भी काबिज है। उक्त पट्टा प्रथम दृष्टया देखने से ही संदिग्ध प्रतीत होता है ना तो उक्त पट्टे में भूमि के खसरा नम्बर अंकित है ना ही उक्त पट्टे में प्रार्थीया की सहमति अंकित है ना ही उक्त पट्टे में ग्राम पंचायत की कोरम का विवरण है ना ही पडौसियों के हस्ताक्षर है। उक्त पट्टा जारी करने के वक्त न तो कोई मौका देखा गया है ना ही प्रार्थीया को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। उक्त पट्टा अप्रार्थी [illegible] गलत रूप से बिना विधिक प्रकिया अपनाये विधि विरूद्ध मात्र प्रार्थीया के हिस्से को [illegible] तैयार करवाया गया है तथा उक्त पट्टे के आधार पर अप्रार्थी प्रार्थीया को उसके 1/2 हिस्से से महरूम करना चाहता है। ग्राम पंचायत केवल पंचायत कि भूमियों का ही विक्रय विलेख या पट्टा जारी कर सकती है उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:32:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

कोई पंचायत कि भूमि नहीं है इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना क्षेत्राधिकार के बाहर है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने ग्राम पंचायत तलावड़ा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 20.02.83 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

4. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी विवादित पट्टा ग्राम पंचायत तलावड़ा ने सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए जारी किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उक्त विवादित पट्टा/भूमि के संबंध में प्रार्थीया द्वारा एक वाद छोटी देवी बनाम रूपनारायण ग्राम न्यायालय गंगापुर सिटी में प्रस्तुत किया गया था। जिसमे ग्राम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2024 को निर्णय पारित कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जा चुका है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत तलावड़ा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 20.02.83 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

5. हमने पत्रावली एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत पट्टे आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया ।

Section 107C of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, deals with the grant of Patta (land title/lease) for certain lands within the Abadi (residential area) of a village.

The main provisions of Section 107C are:

Eligibility: Any person lawfully in possession of land within the Abadi area of a village, otherwise than under a Patta, lease, or license issued by the State Government or the Panchayat, may apply to the Panchayat for a Patta in the prescribed manner.

Objections: When an application is filed, the Panchayat is required to invite objections from the public generally in the prescribed manner. It must also hear all persons who file objections as well as the applicant.

Process: The process for granting the Patta, including the manner of application, inviting objections, and hearing parties, is governed by the rules prescribed under the Act, specifically referenced in court documents as Rule 157(1) of the Rajasthan Panchayati Raj Rules.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 107 –ग कतिपय भूमियों के पट्टे की मंजूरी के बिन्दु सं0 2 के तहत उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन फाईल किया गया है वहां पंचायत ,जन सामान्य से विहित रीति से आक्षेप आमन्त्रित करेगी और उन सभी व्यक्तियों को, जिन्होनें ऐसे आवेदन के विरूद्व आक्षेप फाईल किये है,और आवेदक को विहित रीति से सुनेगी। धारा 157 पुराने गृहों को विनियमितिकरण से संबंधित है। जिसमें व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृह हों और पंचायत से कोई पट्टा जारी करने का प्रावधान है। धारा 158 आबादी भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन से संबंधित हैं। धारा 159 भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन उक्त नियम के अर्न्तगत पंचायत उसमें उपलब्ध आबादी भूमि को उल्लिखित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh
Date: 2025.12.03 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

(क) धारा 167 (2) के तहत पट्टे पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेगे। लेकिन उक्त प्रकरण में तहसील मातहत द्वारा विवादित पट्टे संबधी कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नहीं होना अंकित किया है तथा उक्त पक्षों द्वारा जिस पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

की है वह ग्राम न्यायालय द्वारा अपने वाद संख्या 47/18 में जारी की गई है, ऐसी स्थिती में यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अर्न्तगत सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण की गई है अथवा नहीं , साथ ही विवादित पट्टे पर मात्र नायब संरपच और संरपच के हस्ताक्षर निशानी मौजूद है। सचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं होना पाया गया है। विवादित पट्टे में संरपच ग्राम पंचायत के साथ सचिव के भी संयुक्त हस्ताक्षर ना होना पट्टे की अवैधता को प्रमाणित करता है।

(ख) राजस्थान पंचायतीराज एक्ट के अर्न्तगत मात्र आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का प्रावधान है। किसी खातेदारी/निजी भूमियों पर पट्टे जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।उभयों पक्षों द्वारा न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित पट्टे में अंकित आबादी भूमि हो। प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि निगरानीकार व अप्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व की जायदाद है। ऐसी स्थिती में विवादित पट्टा किसी भी दशा में विधिपूर्ण व न्यायोचित स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) **159. Allotment of lands on concessional price.-(1)The Panchayat may allot plots up to 500 sq. yards from Abadi land available with to Ex-Service Military Personnel (Non-commissioned ranks) who do not own any Abadi land on priority basis, at 50% of the market price as mentioned in Sub-rule (5) of Rule 152.(2)**
बाजार दर पर निलामी की प्रकिया न अपनाते हुए सीधे ही विक्रय का अधिकार जनप्रतिनिधि को नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज भी न तो पट्टे की श्रेणी में आता है न ही बाजार दर पर खुली नीलामी प्रकिया द्वारा किसी प्रकार का विक्रय विलेख की प्रकिया के निष्पादन को परिपूर्ण करता है अर्थात् सम्पूर्ण तथाकथित पट्टा/विक्रय विलेख कार्यवाही प्रथमतः ही विधि शून्य होने से निष्प्रभावी है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी किया गया पट्टा मिसल संख्या 5 निर्णय दिनांक 20.02.83 निरस्त किया जाता है, साथ ही आदेश की एक प्रति तहसीलदार तलावड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह उक्त पट्टे में अंकित विवादित भूमि की जांच करें ,यदि उक्त भूमि राजकीय भूमि है तो कब्जे राज में ली जावें तथा एक प्रति ग्राम पंचायत की इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि पट्टे में अंकित भूमि आबादी भूमि है तो ग्राम पंचायत नये सिरे से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 में उल्लेखित विविध प्रकिया अपनाते हुए पट्टा जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी